

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s Airmid Developers Limited & others,
Plot No 448-451, Udyog Vihar Phase-V,
Gurugram.

क्रमांक 76 / एम0बी0

दिनांक 22/08/2022

विषय:-

Setting up a Proposed Commercial Colony over an area measuring 11.79375 acres in the Revenue Estate of village- Pawala Khusrupur, Sector -106 Gurugram Haryana-Aravali NOC.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, कादीपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

नायब तहसीलदार, कादीपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2088/रीडर दिनांक 06.07.2022 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा पवाला खुसरूपुर उपतहसील कादीपुर जिला गुरुग्राम में मैसर्ज एयरमिड डवलपर्स लि0 की मांगी गई रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान 17//20/2(1-18), 21/1/1(1-18), 21/2/1(4-12), 22/1/1(0-3), 18//13/2(1-5), 14(7-2), 15/1(3-6), 16/1/2(2-7), 16/2(5-9), 17(8-0), 18/1(7-6), 23(6-0), 24(6-13), 25/1(6-5), 25/2(0-17), 27(1-7), 23//4/1(2-0), 5/2(3-16), 24//1(8-0), 2/1/1(3-8), 2/1/2/1(0-11), 2/1/2/2(0-16), 9/2(5-4), 10/1(6-4) कित्ता 24 रकबा 94 कनाल 7 मरला उपरोक्त सभी नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र से बहार है।
2. उपरोक्त अराजी खसरा नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकियत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड, बंजड बीहड या रुद्र नहीं रही है।
3. उपरोक्त अराजी खसरा नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व किस्म चाही व गैर मुमकिन थी व पश्चात किस्म चाही, बंजर जदीद व गैर मुमकिन है।
4. वर्णित प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी मुतनाजा मिसल हकियत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह/पंचायत देह/नगरपालिका/नगरनिगम की मलकियत नहीं रही है।
5. उपरोक्त अराजी खसरा नम्बरान अराजी मुतनाजा पर राजस्व रिकार्ड के खाना कैफियत में किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरा या स्टे का इन्द्राज नहीं है।
6. उपरोक्त अराजी मुतनाजा SEZ(Special Economical Zone) में नहीं आती है।
7. उपरोक्त अराजी खसरा नम्बरान पर धारा 4, 6 व अवार्ड आदि बारे राजस्व रिकार्ड के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज नहीं है।
8. उपरोक्त अराजी मुतनाजा खेवट/खाता न0 116/116 मु0/किला नम्बरान 17//20/2(1-18), 21/1/1(1-18), 18//16/1/2(2-7), 16/2(5-9), 17(8-0), 23(6-0), 24(6-13), 25/1(6-5), 27(1-7) कित्ता 9 रकबा 39 कनाल 17 मरला सालम की मै0 एयर मिड डवलपर्स लि0 मालिक है व खेवट न0 237/239 मु0/किला न0 17//21/2/1 कित्ता 1 रकबा 4 कनाल 12 मरला सालम की मैसर्ज अलबीना प्रोपर्टीज लि0 मालिक है व खेवट न0 239/241, 241/243, 242/244 मु0/किला न0 24//2/1/1(3-8), 2/1/2/2(0-16), 9/2(5-4), 10/1(6-4) कित्ता 4 रकबा 15 कनाल 12 मरला सालम की बरुवे ई0न0 3750-3803 की रूह से मै अलबीना प्रोपर्टीज लि0 मालिक है। व खेवट न0 243/245 मु0/किला न0 24//2/1/2/1 कित्ता 1 रकबा 2 कनाल 2 मरला की बरुवे ई0न0 3374-3823 बैय व बदर न0 3 जैरतजवीज की रूह से

मै0 अलबीना प्रोपर्टीज लि0 11/42 भाग बकदर 0 कनाल 11 मरला की मालिक है। व खेवट न0 244/246 मु0/किला न0 18//25/2 किता 1 रकबा 0 कनाल 17 मरला मै0 अलबीना प्रोपर्टीज लि0 8/17 भाग व मै0 एयरमिड डवलपर्स लि0 9/17 भाग के बरूवे जमाबंदी साल 2017-18 की रूह से मालकान है। व खेवट न0 245/247 मु0/किला न0 23//5/2 किता 1 रकबा 3 कनाल 16 मरला सालम में मै0 अलबीना प्रोपर्टीज लि0 5/76 भाग व मै0 एयरमिड डवलपर्स लि0 71/76 भाग के बरूवे जमाबंदी साल 2017-18 की रूह से मालकान है। व खेवट न0 246/248 मु0/किला न0 24//1 किता 1 रकबा 8 कनाल 0 मरला सालम में मै0 अलबीना प्रोपर्टीज लि0 121/160 भाग व मै0 एयरमिड डवलपर्स लि0 39/160 भाग के बरूवे जमाबंदी साल 2017-18 की रूह से मालकान है। व खेवट न0 108/108 मु0/किला न0 23//4/1 किता 1 रकबा 4 कनाल 9 मरला का 40/89 भाग बकदर 2-0 की मैसर्ज फ्लोरा लैण्ड डवलपमेंट लि0 बरूवे ई0न0 2773 त0म0 की रूह से मालिक है। व खेवट न0 238/240 मु0/किला न0 17//22/1/1 किता 1 रकबा 0 कनाल 11 मरला का 379/1395 भाग बकदर 0-3 की मै0 अलबीना प्रोपर्टीज लि0 मालिक है। व खेवट न0 26/26-27/27-28/28-29/29 मु0/किला न0 18//13/2(1-5), 14(7-2), 15/1(3-6), 18/1(7-6) किता 4 रकबा 18 कनाल 19 मरला सालम की बरूवे ई0न0 2687 तकसीम 2773 त0म0 की रूह से मैसर्ज फ्लोरा लैण्ड डवलपमेंट लि0 मालिक है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 3074-जी0 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 29.06.2022 (M/s Airmid Developers Limited And Albina Properties Limited And Flora Land Development Limited) को गांव Pawala Khurupur, Sub-Tehsil Kadipur, District Gurugram के 11.7938 एकड़ एरिया की फोरेस्ट क्लेरिफिकेशन आनलाईन जारी की जा चुकी है जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant M/s Airmid Developers Limited & Others, Land Measuring 11.7938(Acre) having Rect. No. 17 Killa No. 20/2(1-18), 21/1/1(1-18), 21/2/1(4-12), 22/1/1(0-3), Rect. No. 18, Killa No. 13/2(1-5), 14(7-2), 15/1(3-6), 16/1/2(2-7), 16/2(5-9), 17(8-0), 18/1(7-6), 23(6-0), 24(6-13), 25/1(6-5), 25/2(0-17), 27(1-7), Rect. No. 23, Killa No. 4/1(2-0), 5/2(3-16), Rect. No. 24, Killa No. 1(8-0), 2/1/1(3-8), 2/1/2/1(0-11), 2/1/2/2(0-16), 9/2(5-4), 10/1(6-4) Land located at village Pawala Khurupur District Gurugram made a proposal to use this land for Building Construction. It is made clear that:-

- As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurgaon is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurgaon.
- If approach is required from Protected forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s Airmid Developers Limited And Albina Properties Limited And Flora Land Development Limited whose land is located at Village/City Pawala Khurupur District Gurgaon must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- As per the records available with the Forest Department Gurgaon the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.

- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject to The Conditions Mentioned Above And Forest Conservation Act, 1980 Is Applicable Hence, Necessary Permission Must Be Obtained From Forest Department Separately.

अतः नायब तहसीलदार, कादीपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Khandsa, District Gurugram की उक्त वर्णित भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जानी उचित होगी कि प्रार्थी प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरो पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बधित नम्बरो की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करे क्योंकि Forest Conservation Act, 1980 Is Applicable Hence Necessary Permission Must Be Obtained From Forest Department Separately अन्यथा सम्बधित किला नम्बरान की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी।

कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम

